भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या1526

जिसका उत्तर 15दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

24 अग्रहायण,1945(शक)

डार्क वेब पर आधार और अन्य डेटा का लीक होना

1526.श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डार्क वेब पर आधार और अन्य डाटा लीक होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस डाटा लीक होने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नागरिकों के आधार डाटा की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ): सरकार ने नागरिकों के आधार डाटा सहित डाटा की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

क. यूआईडीएआई ने आधार संख्या धारकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इसने केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) डेटाबेस की सुरक्षा के लिए रक्षा-गहन अवधारणाके साथ बहु-स्तरीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को लागू किया है और यूआईडीएआई प्रणालियों की सुरक्षा के लिए इसकी लगातार समीक्षा / ऑडिट करता है। इसके अलावा, सीआईडीआर को एक संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित किया गया है और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर आधार पर सुरक्षा इनपुट प्रदान करता है। यूआईडीएआई ट्रांसमिशन और स्टोरेज में डेटा की सुरक्षा हेतु उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है।

ख. यूआईडीएआई की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 27001:2013-प्रमाणित है। यूआईडीएआई ने आईएसओ/आईईसी 27701:2019 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली) को भी प्रमाणित किया है।

ग. आधार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए शासन, जोखिम, अनुपालन और प्रदर्शन ढांचे के निर्माण और इसके पालन के लिए निगरानी के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा एजेंसी को नियुक्त किया गया है।

घ. एमईआईटीवाई ने साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो नियमित रूप से इस तरह की लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक आधार पर व्यापक और सीमित लेखा परीक्षा दोनों को शामिल करते हैं, जिसमें सुभेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण भी शामिल हैं।

ङ. डाटा उल्लंघन/डाटा लीक की घटनाओं को देखने पर सर्ट-इन प्रभावित संगठनों को उपचारात्मक कार्रवाई के साथ सूचित करता है और प्रभावित संगठनों, सेवा प्रदाताओं, संबंधित क्षेत्र के नियामकों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है।

च. सर्ट-इन ने विभिन्न मंत्रालयों को एक परामर्शी निदेश जारी किया है जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना सहित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा या सूचना को संसाधित करने वाली सभी संस्थाओं द्वारा साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों को रूपरेखा दी गई है।

छ. दिसंबर 2022 में नवीनतम साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाओं को संवेदनशील बनाने हेतु सर्ट-इन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाओं के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सुरक्षा पद्धतियों पर एक विशेष परामर्शी निदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय द्वारा देश में सभी प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या संस्थाओं/सेवा प्रदाताओं के मध्य इस परामर्शी निदेश को प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

ज. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) विभिन्न ई-गवर्नेंस समाधानों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के उपयोगकर्ता मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों को आईटी सहायता प्रदान करता है और इसके भाग के रूप में, नागरिकों के डेटा वाले विभिन्न सरकारी डेटाबेस को बनाए रखने में मदद करता है। एनआईसी उद्योग मानकों और प्रथाओं के अनुरूप सूचना सुरक्षा नीतियों और प्रथाओं का पालन करता है, जिसका उद्देश्य साइबर हमलों को रोकना और डेटा की सुरक्षा करना है।

****